राजस्व मण्डल 216

1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व न्यायालय मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) कैम्प रीवा (म0प्र0)

323

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

रामयत्न तनय विन्धेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा उम्र ....पेशा खेती, निवासी ग्राम बिझवार थाना एवं तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ....**आवेदक /निगराकार**

R. 3669-II/12

बनाम

1— रामश्रवण मिश्रा तनय रामसुदर्शन मिश्रा उम्र ....पेशा खेती निवास ग्राम बिझवार थाना एवं तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0 ....**अनावेदक / गैरनिगराकार**

अर-वी.यादव 7/8/12

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 18.07.12 प्रकरण क0-**44-A/12**/11–12 द्वारा पारित व प्रसारित तहसीलदार साहब जवा।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959

कमिश्नर कार्यालय रीवा 9/08/12

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

अ— प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :—

5-9-12

क— यह कि ग्राम बिझवार में आराजी नम्बर 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206 इत्यादि नम्बरों की भूमियॉ स्थित है, जिसमें से कुछ आबादी की भूमि होकर, कुछ पट्टे की भूमियॉ है और कुछ भूमि शासकीय हैं, जो एक अर्से से बसे हुए लोगों के निस्तार में होकर उनके कब्जे–दखल में है। जिसमे से 205/4 रकबा 5 डि0 आवेदक निगराकार के पट्टे व कब्जे की है तथा 205/3 अन्य लोग की **गंगा** वगैरह का 5–5 डिसमिल का पट्टा होकर उनके कब्जे दखल में है। तथा आराजी न0–204 आवेदक के पडोसी रामप्रसाद द्विवेदी व श्याम बिहारी वगैरह के कब्जे दखल में होकर आबाद हैं, तथा 205/1 शासकीय भूमि होकर शकुंतला व गीता देवी वगैरह आबाद है।

रामयत्न विश्वकर्मा

(216)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03019– II / 2012 जिला–रीवा

रामयतन विश्वकर्मा / रामश्रवण मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0बी0 यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जवां के प्रकरण क्रमांक 44 / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	